"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2012—श्रावण 10, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-19/2010/वाक/पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(क) सीधी भर्ती-प्रतियोगी परीक्षा द्वारा या मेरिट और साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा."

2. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, शब्द "आगामी" के स्थान पर शब्द "पूर्ववर्ती" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-तीन के कॉलम (6) में शब्द "ग्रेड वेतन" के स्थान पर, अंक "(6)" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 1 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् से :—
हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमश: 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

5. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 2 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् से :—
अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमश: 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

6. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 3 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

7. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 4 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, तथा

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

8. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 6 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

10वीं बोर्ड परीक्षा तथा किसी भी विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

Raipur, the 1st August 2012

NOTIFICATION

No. F 10-19/2010/CT/V (39).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal Service (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (a) of sub-rule (1) of rule 6, the following clause shall be substituted, namely :—
   "(a) Direct recruitment-by competitive examination or by selection on the basis of merit and interview."

2. In clause (a) of sub-rule (1) of rule 8, for the words "next following" the words "just preceding" shall be substituted.

3. In column (6) of Schedule-III, for the words "Grade Payment" the figure "(6)" shall be substituted.

4. In Schedule-III, for the entries relating to column (6) of serial number 1, the following shall be substituted, namely :—
   "(1) Should have passed Higher Secondary or (10+2) or passed 1st year graduation course from any recognized Board/University.

   (2) From any recognized Board/Institution or Shorthand and Typing Council :—
   Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer.

   (3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry."

5. In Schedule-III, for the entries relating to column (6) of serial number 2, the following shall be substituted, namely :—
   "(1) Should have passed Higher Secondary or (10+2) or passed 1st year graduation course from any recognized Board/University.

   (2) From any recognized Board/Institution or Shorthand and Typing Council :—
   Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer.

   (3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry."

6. In Schedule-III, for the entries relating to column (6) of serial number 3, the following shall be substituted, namely :—
   "(1) Should have passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University.

   (2) Should have passed Computer Hindi Typing Examination with speed of 25 wpm along with speed of 60 wpm in Hindi Stenography from any recognized Board/Institute, and

   (3) Should have passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and should have speed of 5,000 key depression per hour in data entry."

7. In Schedule-III, for the entries relating to column (6) of serial number 4, the following shall be substituted, namely :—
   "(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board,

(2) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute, and

(3) Should have speed of 5,000 key depression per hour in Hindi computer typing."

8. In Schedule-III, for the entries relating to column (6) of serial number 6, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board.

Or

Should have passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject.

(2) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.